

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2686/2022

विजेन्द्र सिंह सोंगारा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेजेडब्ल्यू20152205482)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.07.2022

आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड-III लेवल-प्रथम के पद पर रा.उ.प्रा.वि., बड़बेला, ब्लॉक झालरापाटन, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में कोटा जिले में कार्यरत है। उनका आगे यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के एक 8 वर्ष का छोटा पुत्र है। अपीलार्थी के परिवार की देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी की वर्तमान स्थान पर नियुक्ति वर्ष 2018 में हुई थी। जिसके बाद वह लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य सरकार की नीति रही है कि अगर पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो, उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर अथवा पास-पास कार्यरत रखा जावे। इसके मद्देनजर अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण हेतु रा.उ.प्रा.वि. डूंगरजया, कोटा में अध्यापक ग्रेड-III लेवल-द्वितीय के खाली पद होने का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जहां अपीलार्थी को पदस्थापित किया जा सकता है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)